पत्र संख्या-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09 – 56-वि-5-1-2010

बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।
संकल्प

विषयः- **वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों के बच्चों की शिक्षा हेतु शैक्षणिक भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।**

केंद्रीय षष्ट्म आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

(2) सम्प्रति सरकारी सेवकों के बच्चों की शिक्षा हेतु शैक्षणिक भत्ता (Children Education allowance) वैसे सरकारी सरकारी सेवकों को देय है जहाँ पदस्थापन के स्थान पर +2 की शिक्षा की व्यवस्था नही है । शारीरिक रूप से पूर्ण विकलांग एवं मंद बुद्धि बच्चों के लिए भी यह भत्ता देय है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा इस भत्ता की दर को पुनरीक्षित करते हुए रू0 200/- (दो सौ) प्रतिमाह निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है ।

(4) इस भत्ता की स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के पत्र सं0 365 वि0 (2), दिनांक 20/01/2000 में वर्णित शर्त्तें यथावत् रहेंगी ।

(5) यह आदेश दिनांक 01.02.2010 से प्रभावी होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5.1.10

(रवीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09 56-/वि (2)पटना, दिनांकः- 5-1-2010

प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.1.10
(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09-56/वि (2) पटना, दिनांकः- 5-1-2010

प्रतिलिपि- अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा/अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग/वित्त विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं इससे उच्चतर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.1.10
(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09 56-/वि (2) पटना, दिनांकः-5-1-2010

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.1.10
(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09 56/वि (2) पटना, दिनांकः- 5-1-2010

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि राजपत्र की 500 मुद्रित प्रतियाँ वित्त विभाग, शाखा-3ए को उपलब्ध करायी जाए ।

5.1.10
(रवीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन) ।